संख्या-3639/81-2-2022-800(331)/2022

प्रेषक,

नीता चौधरी
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 मार्च 2023

विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वनभूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/REHAB/149021/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1961/11-सी-एफपी/यूपी/REHAB/149021/2021 दिनांक 09.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके परीक्षणोंपरान्त कतिपय कमियां पायी गई है :-

1- वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रूल्स-2022 में विनिमय के आधार पर वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग की कोई व्यवस्था है ?

2- प्रस्ताव में उल्लिखित है कि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के प्रभावित समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा ग्रामवासियों को बसने हेतु ऊँचाई पर क्यों नहीं भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, क्या राजस्व विभाग के पास ऊँचाई वाले स्थान पर भूमि नहीं है ?

3- उपलब्ध करायी गयी आख्या में त्रुटिवश विनिमय शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों को संशोधित क्यों नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट किया जाये कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है ?

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रूल्स-2022 के आलोक में उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।